

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक: प1(1)कार्मिक/बोमी/246/2021/273

दिनांक:- 25/05/21

प्रमुख शासनसचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/
शासन सचिव, वित्त(बजट)विभाग/ मुख्य नगर नियोजक, राज. सरकार, जयपुर

अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/सचिव/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी/
मुख्य अभियंता-मुख्यालय/प्रथम/द्वितीय/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक,
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

विषय:- राजस्थान आवासन मण्डल के संचालक मण्डल की 246वीं बोर्ड बैठक का कार्यवाही विवरण प्रेषित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 07.05.2021 को राजस्थान आवासन मण्डल के संचालक मण्डल की आयोजित 246वीं बोर्ड बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीया,

संलग्न उपरोक्तानुसार

(संचिता बिश्नोई)

सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1.लेखाधिकारी (भुगतान)/सहायक लेखाधिकारी(भण्डार)/जन सम्पर्क अधिकारी/ केयरटेकर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 246वीं बैठक दिनांक 07.05.2021 को 12.30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

- | | | |
|----------------------------|--|------------|
| 1. श्री शांतिकुमार धारीवाल | अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं
मंत्री, नगरीय विकास, आवासन
एवंस्वायत्त शासनविभाग, राज. सरकार | |
| 2. श्री के.एल.मीणा | प्रमुख शासन सचिव,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग | सदस्य |
| 3. श्री पवन अरोड़ा | आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल | सदस्य |
| 4. श्री आर. के. विजयवर्गीय | मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान | सदस्य |
| 5. श्रीमती संचिता बिश्नोई | सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल | मण्डल-सचिव |

शासन सचिव वित्त (बजट), डॉ. पृथ्वी राज द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे :-

श्रीमती संजय शर्मा	वि.स. एवंमुख्यलेखाधिकारी, राज. आवासन मण्डल
श्री के.सी.मीणा	मुख्य अभियंता, प्रथम, राज.आवासन मण्डल
श्री नत्थूराम	अति.मुख्य अभियंता, प्रथम
श्री संजय पूनिया	अति.मुख्य अभियंता, तृतीय
श्री अनिल कुमार माथुर	अति. मुख्य नगर नियोजक
श्रीप्रमोद कुमार वैष्णव	जन सम्पर्क अधिकारी

--:: कार्यवाही विवरण ::--

विचार बिन्दु संख्या	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
246.1	दिनांक 16.02.2021 को सम्पन्न हुई मण्डल की 245वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	दिनांक 16.02.2021 को सम्पन्न हुई मण्डल की 245वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
246.2	दिनांक 16.02.2021 को सम्पन्न हुई मण्डल की 245वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	दिनांक 16.02.2021 को सम्पन्न हुई मण्डल की 245वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary
246.3	आवास संख्या 2/387, स्काउट फील्ड योजना, सवाई माधोपुर के आवंटी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा को उक्त आवास के पंजीकरण	प्रकरण को स्थगित किया जाता है। पत्रावली को अवलोकन हेतु अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया जावे।	CEM

	पुनर्जीवित करने व वर्तमान लागत पर आवंटन के संबंध में।		
246.4	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर-08 हल्दी घाटी मार्ग स्थित भूखण्ड पर प्रस्तावित बहुमंजिले स्टूडियो अपार्टमेन्ट्स के अन्तर्गत नियोजित (भूतल+10) फ्लैट्स के निर्माण की परियोजना के क्रियान्वयन के अनुमोदन बाबत।	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में सेक्टर-08, हल्दी घाटी मार्ग स्थित भूखण्ड पर प्रस्तावित बहुमंजिला स्टूडियो अपार्टमेन्ट के अन्तर्गत नियोजित किये जाने वाले फ्लैट्स के निर्माण की परियोजना को मण्डल की परियोजना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर तदनुसार स्पष्ट अभिशंषा सहित अध्यक्ष महोदय को पत्रावली पर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।	CE-HQ
246.5	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर-08 चेतक मार्ग स्थित भूखण्ड में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत नियोजित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग बहुमंजिलीय फ्लैट्स (जी+12) के निर्माण की परियोजना के क्रियान्वयन के अनुमोदन बाबत।	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर-08 चेतक मार्ग स्थित भूखण्ड में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत नियोजित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग बहुमंजिला फ्लैट्स के निर्माण की परियोजना को मण्डल की परियोजना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर स्पष्ट अभिशंषा सहित अध्यक्ष महोदय को पत्रावली पर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।	CE-HQ
246.6	राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर स्थित सिटी पार्क परियोजना में Constuction work of Jogging track and Compound wall (Ph-II) के कार्य को संवेदक मैसर्स गोयल सावित्री इन्डस्ट्रीज से यथा स्थिति में बिना शास्ती अधिरोपित किये विद्धो करने एवं पुनः निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	विस्तृत विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर स्थित सिटी पार्क परियोजना में Constuction work of Jogging track and Compound wall (Ph-II) के कार्य को संवेदक मैसर्स गोयल सावित्री इन्डस्ट्रीज से यथा स्थिति में बिना शास्ती अधिरोपित किये विद्धो करने एवं पुनः निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
246.7	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक एफ.8(1)यूडीएच /3/ 2002 /पार्ट दिनांक 27.04.2021 द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड (डिस्पोजल ऑफ बिजनेस) रेगुलेशन, 2002 में	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.8(1)नविवि/3/ 2002 पर दिनांक 27.04.2021 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में Rajasthan Housing Board (Disposal of Business) Regulations, 2002 के Third	Dr..Law

संशोधन किये जाने बाबत।

Schedule में अंकित वर्तमान Note-1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित (Substitute) किये जाने का निर्णय लिया गया:-

Note-1

- (a) In matters referred to Sr.no.3, 9 and 11 in the Third Schedule, prior permission of the Chairman shall be obtained.
- (b) Where no specific is provided in the above delegations, the Housing Commissioner, subject to the prior approval of the Chairman shall exercise powers in respect of such items to the extent considered essential by him in the interest of the Board.
- (c) Withdrawal of cases from a court and institution of a case or appeal in any case shall be made on recommendation of a committee constituted by the Chairman and decision of the Chairman shall be final.

अन्य बिन्दु माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

246.8	खण्ड-भिवाडी के अधीन अरावली विहार योजना में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निर्मित किये जाने वाले फ्लैट्स हेतु पंजीकरण योजना प्रारम्भ करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार खण्ड-भिवाडी के अधीन अरावली विहार योजना में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निर्मित किये जाने वाले फ्लैट्स हेतु पंजीकरण योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि नीमराना में आवासों की माँग का सर्वे कराया जाये।	ACE-III
246.9	राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर दिनांक 16.09.2020 से 07.05.2021 तक की अवधि में विज्ञापन के माध्यमों से व्यय हुई राशि की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय	प्रस्ताव का विस्तृत प्रशासनिक एवं वित्तीय परीक्षण उपरान्त मय कार्योत्तर स्वीकृति हेतु व्यय राशि के विवरण सहित सम्बन्धित पत्रावली पर अध्यक्ष महोदय को निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय	PRO

	स्वीकृति प्रदान करने हेतु तथा राजस्थान आवासन मण्डल एवं आई.सी.आई.सी. बैंक के मध्य विज्ञापन के संबंध में हुए अनुबन्ध और विज्ञापन पर व्यय हुई राशि की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने हेतु।	लिया गया।	
246.10	मानसरोवर योजना, जयपुर के सेक्टर-4 (S.F.S.) में Ecological हेतु आरक्षित उपलब्ध भूमि में FARM HOUSE नियोजन बाबत।	प्रस्ताव का जयपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2011 एवं 2025 में प्रस्तावित भू-उपयोग के सम्बन्ध में तकनीकी परीक्षण तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित जनहित याचिका संख्या 1554/2004 (गुलाब कोठारी बनाम राज्य) एवं 9497/2007 (पी.एन. मेन्थोला बनाम राज्य) में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष में विधिक परीक्षण उपरान्त परियोजना समिति की स्पष्ट अभिशंषा सहित अध्यक्ष महोदय के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।	ACTP
246.11	सेक्टर-8, हल्दी घाटी मार्ग, प्रताप नगर आवासीय योजना, सांगानेर, जयपुर में बहुमंजिले Studio Apartment (S+10) योजना के तहत बाह्य स्त्रोतन से नियोजित मानचित्र के अनुमोदन बाबत।	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में सैक्टर-8 हल्दी घाटी मार्ग स्थित भूखण्ड पर प्रस्तावित बहुमंजिला फ्लेट्स के निर्माण की परियोजना को मण्डल की परियोजना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर तदनुसार स्पष्ट अभिशंषा सहित अध्यक्ष महोदय को पत्रावली पर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।	ACTP
246.12	सेक्टर-8, चेतक मार्ग, प्रताप नगर आवासीय योजना, सांगानेर, जयपुर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत E.W.S. एवं L.I.G. के बहुमंजिले आवास योजना के तहत बाह्य स्त्रोतन से नियोजित मानचित्र के अनुमोदन बाबत।	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सैक्टर-8, चेतक मार्ग स्थित भूखण्ड पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत नियोजित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग बहुमंजिला फ्लेट्स के निर्माण की परियोजना को मण्डल की परियोजना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर स्पष्ट अभिशंषा सहित अध्यक्ष महोदय को पत्रावली पर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।	ACTP
246.13	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर आवासीय योजना में Construction of Block-6	प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण उपरान्त अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर अनुमोदन पश्चात बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत	CE-I

246.14	(B1 + B 2 + G+12) 26 HIG flats at AIS Residency , Sector 17, Pratap Nagar, Jaipur कार्य हेतु राशि रुपये 1655.00 लाख, Block-5 (B1 + B 2 + G+12) 26 HIG flats at AIS Residency, Sector 17, Pratap Nagar, Jaipur कार्य हेतु राशि रुपये 1655.00 लाख, Block-4 (B1 + B 2 + G+12) 26 HIG flats at AIS Residency, Sector 17, Pratap Nagar, Jaipur कार्य हेतु राशि रुपये 1655.00 लाख, Block-3 (B1 + B 2 + G+12) 26 HIG flats at AIS Residency, Sector 17, Pratap Nagar, Jaipur कार्य हेतु राशि रुपये 1655.00 लाख, Block-2 (B1 + B 2 + G+12) 26 HIG flats at AIS Residency, Sector 17, Pratap Nagar, Jaipur कार्य हेतु राशि रुपये 1655.00 लाख, Block-1 (B1 + B 2 + G+12) 26 HIG flats at AIS Residency, Sector 17, Pratap Nagar, Jaipur कार्य हेतु राशि रुपये 1707.00 लाख, Block-7 (B1 + B 2 + G+12) 24 HIG flats and Club House at AIS Residency, Sector 17, Pratap Nagar, Jaipur कार्य हेतु राशि रुपये 1653.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	किया जावे।	
246.14	Approval of Bid for Construction of Block 7 (B1 + B 2 + G+12) 24 Flats and Club House at AIS Residency, Sect 17, Pratap Nagar, Jaipur, Bid for Construction of Block 6 (B1 + B 2 + G+12) 26 Flats at AIS Residency, Sect 17, Pratap Nagar, Jaipur, Bid for Construction of Block 5 (B1 + B 2 + G+12) 26 Flats at AIS Residency, Sect 17, Pratap Nagar, Jaipur, Bid for Construction of Block 4 (B1 + B 2 + G+12) 26 Flats at AIS Residency, Sect 17, Pratap Nagar, Jaipur, Bid for Construction of Block 3	प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण उपरान्त अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर अनुमोदन पश्चात बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	CE-I

(B1 + B 2 + G+12) 26 Flats at AIS Residency, Sect 17, Pratap Nagar, Jaipur, Bid for Construction of Block 3 (B1 + B 2 + G+12) 26 Flats at AIS Residency, Sect 17, Pratap Nagar, Jaipur, Bid for Construction of Block 2 (B1 + B 2 + G+12) 26 Flats at AIS Residency, Sect 17, Pratap Nagar, Jaipur, Bid for Construction of Block 1 (B1 + B 2 + G+12) 26 Flats at AIS Residency, Sect 17, Pratap Nagar, Jaipur.		
---	--	--

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये :-

1. मण्डल की अन्य समितियों यथा परियोजना समिति, कार्य समिति, लेण्ड नेगोशियन समिति आदि की बैठक प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं पदेन सदस्य राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में आयोजित की जावेगी एवं बैठक कार्यवाही विवरण अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावेगा तथा तदनुसार अनुमोदन पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
2. भविष्य में बोर्ड की बैठक का एजेण्डा सम्बन्धित पत्रावली पर विस्तृत परीक्षण उपरान्त कम से कम सात दिवस पूर्व अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन कराया जायेगा और अनुमोदित एजेण्डा समस्त सदस्यों को बोर्ड बैठक से कम से कम तीन दिवस पूर्व उपलब्ध कराया जावे।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि मण्डल के लम्बित भूमि विवाद निम्न चार वर्गों में विभक्त कर उनको उच्च स्तर पर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए :-

1. ऐसी भूमि जिन का कब्जा नहीं लिया जा सका है एवं खातेदारों को मुआवजा भी नहीं दिया गया है और न ही न्यायालय में मुआवजा जमा कराया गया है।
 2. ऐसे प्रकरण जिन में भूमि का कब्जा नहीं लिया जा सका है किन्तु मुआवजा राशि न्यायालय में जमा करा दी गई है।
 3. ऐसे विवाद जिनमें आपसी बातचीत कर उचित स्तर पर निर्णय लेकर निपटाया जा सके।
 4. ऐसे प्रकरण जिन में धारा 27 के बाद भूमि अवाप्ति की कार्यवाही आगे नहीं हुई है एवं इन प्रकरणों पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।
- अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


 (संचिता बिश्नोई)
 सचिव